# फर्द अहकाम

(नियम 26)

मएस नंबर 2024/456 बअनवान मुलाराम के कामु सोनाराम वगैरा बनाम स्व0 नेमाराम कामु लकमाराम वगैरा

धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 28/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री महेन्द्र परिहार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05, 06 के अधिवक्ता श्री कृष्ण सुथार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 07, 08, 09, 10 के अधिवक्ता सुश्री निशा परमार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का आद्योपांन अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण मे यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 253, 254, 255, 256 के कुल 32 खातेदार अधिकार अभिलेखों में दर्ज है। उक्त वाद वादीगण मुलाराम, पन्नालाल, चुनाराम के वारिसान एवं झमूदेवी पत्नि समाराम जी, मोहनलाल पुत्र समाराम जी, भगवान लाल पुत्र चौथाराम जी, नरेश कुमार दत्तक पुत्र उमाराम जी, पोकरराम पुत्र खीमारामजी, हस्तीमल पुत्र केसारामजी, ललीत पुत्र केसारामजी की ओर से पेश किया गया है परन्तु वाद पत्र पर वादी संख्या 01 के कामु(अ), 2 के कामु (ब), 3 के कामु (ब) तथा प्रतिवादी स0 5, 8, 9 के ही हस्ताक्षर है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह जरूर वर्णित किया है कि उक्त वाद दिगर वादीगण के ज्ञान व अनुमति से प्रस्तुत किया है। परन्तु वाद पत्र के साथ में दिगर वादीगण का सहमति पत्र/अनुमति संलग्न नही है। इस संबंध में सीपीसी के आदेश 01 नियम 10(3) के विधिक प्रावधानों के अनुसार– No Person Shall be added as a Plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a Plaintiff under any disability without his consent. इस प्रकार विधिक प्रावधानों के अनुसार जो वादी उपस्थित नहीं है अर्थात जिनके हस्ताक्षर वादपत्र पर नहीं है, उनका सहमति पत्र वाद पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक था। जिससे इस वाद में मात्र कुछ वादीगण के हस्ताक्षर युक्त वादपत्र के आधार पर वाद में आगे कार्यवाही की जाना न्यायसंगत नहीं है। जहां तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों की शुद्वि का प्रश्न है तो सेग्रीगेशन के दौरान हुई त्रुटियों को भूमिधारी के समक्ष आवेदन द्वारा भी वादीगण शुद्व करवा सकते है। वाद पत्र पर समस्त वादीगण के हस्ताक्षर नहीं होने तथा दिगर वादीगण सहमति पत्र/अनुमति संलग्न नही होने से वादीगण के वाद अनुसार अनुतोष दिया जाना संभव नही होने से वाद वादीगण खारीज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)**
**बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.**

वादीगण :–

1–स्व0 मूलाराम पुत्र बुधारामजी के विधिक वारिसान
(अ) सोनाराम पुत्र मूलारामजी
(ब) तीजो पुत्री मूलारामजी
(स) कन्या पुत्री मूलारामजी
2. स्व पन्नालाल पुत्र बुधारामजी के विधिक वारिसान
(अ) सकाराम पुत्र पन्नालालजी
(ब) पुखराज पुत्र पन्नालालजी
(स) ताराराम पुत्र पन्नालालजी
3. स्व चुनाराम पुत्र बुधारामजी के विधिक वारिसान
(अ) प्रकाश पुत्र चुनारामजी
(ब) मदनलाल पुत्र चुनारामजी
(स) पिस्ता पुत्री चुनारामजी
(द) गीता पुत्री चुनारामजी
(य) धनु पुत्री चुनारामजी
(स) भंवरी पत्नि चुनारामजी
4. झमूदेवी पत्नि समारामजी
5. मोहनलाल पुत्र समारामजी
6 भगवानलाल पुत्र चौथारामजी
7. नरेश कुमार दत्तक पुत्र उमारामजी
8. पोकरराम पुत्र खीमारामजी
9. हस्तिमल पुत्र केसारामजी
10. ललित कुमार पुत्र केसारामजी

उपरोक्त तमाम व्यस्क, तमाम जातिगण माली, निवासीगण धणी, तहसील वाली जिला पाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

**बनाम**

प्रतिवादीगण :–

1–स्व0 नेमाराम पुत्र नगारामजी के विधिक वारिसान
(अ) लकमाराम पुत्र नेमारामजी
(ब) सेसाराम पुत्र नेमारामजी
(स) चतराराम पुत्र नेमारामजी
(द) अशोक कुमार पुत्र नेमारामजी
(य) चम्पा पुत्री नेमारामजी
(र) शाति पुत्री नेमारामजी
(ल) पुष्पा पुत्री नेमारामजी
2. रामाराम पुत्र नगारामजी
3. मोतीराम पुत्र नगारामजी
4. लालाराम पुत्र नगारामजी
5 वीराराम पुत्र नगारामजी
6. छोगाराम पुत्र नगारामजी
7. मेती पुत्री नगारामजी

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with OKEN Scanner

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/456**

अनवान स्व. मूलाराम के कामु सोनाराम वगैरा बनाम स्व. नेगाराम के कामु लकमाराम वगैरा

*अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*

*सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956*

8. हंजा पुत्री नगारामजी
9. लेहरी पुत्री नगारामजी
10. कमला पुत्री नगारामजी

उपरोक्त तमाम व्यस्क, तमाम जातिगण माली, निवासीगण धणी, तहसील बाली, जिला पाली

11– राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसलीदार बाली

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/456**

**वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 253, 254, 255, 256 के सबंध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खारीज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/10/25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner